(860)

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क्रमांक व्यापम/5–प–1/28/2031 /2014 भोपाल, दिनांक 29/03/2014

/ आदेश /

कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, मुख्यालय, मध्यप्रदेश के पृष्ठांकित पत्र क्र0 समनि/एस0टी0एफ0/मुख्यालय/2014एचक्यू 242 दिनांक 11/03/2014 के माध्यम से मंडल द्वारा विगत 11/03/2012 को आयोजित प्री0पी0जी0 परीक्षा 2012 के अंतर्गत अनुचित साधनों का उपयोग कर परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के संबंध में थाना एस0टी0एफ0, भोपाल में पंजीबद्ध अपराध प्रकरण क्र0 14/13 के अंतर्गत 8 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मंडल स्तर से निरस्त किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय के पत्र क्र0 समनि/एस0टी0एफ0/मुख्यालय/2014 एचक्यू 278 दिनांक 22.03.2014 के माध्यम से मंडल को प्री0पी0जी0 2012 के संबंध में पंजीबद्ध अपराध प्रकरण क्र0 14/13 के अंतर्गत प्रकरण के आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र में उल्लेखित साक्ष्यों तथा तथ्यों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि –

1. प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 03/02/2014 एवं 26/02/2014 को एस0टी0एफ0, मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा मंडल कार्यालय के नियंत्रक कक्ष से जप्त किए गए मॉडल उत्तर कुंजियों के लिफाफों की जप्तियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मॉडल उत्तर कुंजियों के अनेक लिफाफे एस0टी0एफ0 को जप्त किए जाने के दौरान दोनों तरफ से खुले हुए मिले । साथ ही जप्ती संबंधी कार्यवाही के दौरान द्वितीय सेट की मॉडल उत्तर कुंजी के लिफाफे भी कटे हुए एवं पुनः चिपकाए हुए प्राप्त हुए जबकि इस द्वितीय सेट का परीक्षा में उपयोग ही नहीं किया गया था एवं इस कारण द्वितीय सेट की मॉडल उत्तर कुंजी के लिफाफे खोले ही नहीं जाने चाहिए थे परन्तु परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त किए जाने की दृष्टि से दोनों सेट की मॉडल उत्तर कुंजी के लिफाफे परीक्षा पूर्व खोलकर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया ।

2. मंडल द्वारा आयोजित प्री0पी0जी0 परीक्षा 2012 के अंतर्गत उपयोग में लाए गए प्रश्न पत्र में से अभ्यर्थियों की आपत्तियों के कुंजी समिति द्वारा परीक्षणोपरांत 14 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित किए गए । एस0टी0एफ0 मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित 8 अभ्यर्थियों की उत्तर शीट्स का मूल्यांकन एवं परीक्षण मंडल द्वारा 14 परिवर्तित उत्तरों के आधार पर किए जाने पर यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि इन 8 अभ्यर्थियों द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के 14 परिवर्तित उत्तरों में से पूर्व अनुसार ही (मॉडल उत्तर कुंजी में उल्लेखित उत्तर) अधिकतम उत्तर अर्थात 14 में से 8 से 11 उत्तर अपनी उत्तर शीट में लगाए हैं जबकि परिवर्तित उत्तरों के आधार पर इन अभ्यर्थियों की उत्तर शीट

....2/–

का मूल्यांकन किए जाने पर सही उत्तरों की संख्या अत्यधिक कम अर्थात 1 से 3 मात्र है । इन 8 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित अन्य अभ्यर्थियों के 14 प्रश्नों के अंक मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर अत्यंत कम हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्तानुसार 8 अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व मॉडल उत्तर कुंजी प्राप्त हो चुकी थी ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में परीक्षणोपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि एस0टी0एफ0 मुख्यालय के पृष्ठांकित पत्र क्र0 समनि/एस0टी0एफ0/मुख्यालय/2014एचक्यू 242 दिनांक 11/03/2014 में उल्लेखित 8 अभ्यर्थियों अनुक्रमांक क्रमशः 102647, 101450, 101709, 101054, 100194, 100299, 100238 एवं 100953 द्वारा प्री0पी0जी0 परीक्षा 2012 के आयोजन दिनांक 11/03/2012 के एक दिवस पूर्व प्रकरण में मंडल के आरोपी अधिकारियों क्रमशः तत्कालीन नियंत्रक एवं तत्कालीन कम्प्यूटर शाखा प्रभारी से परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी प्राप्त करते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए प्रावीण्य सूची में उच्च स्थान प्राप्त किया ।

इस वस्तुस्थिति, तथ्यों, मंडल स्तर से किए गए परीक्षण एवं एस0टी0एफ0 द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र में उल्लेखित साक्ष्यों के प्रकाश में अनुक्रमांक 102647, 101450, 101709, 101054, 100194, 100299, 100238 एवं 100953 (8 अभ्यर्थियों) को यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए प्रश्नाधीन परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका 3.9 (अनुचित साधन) के तहत इनका परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाता है ।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

संचालक
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल

पृ0 क्रमांक व्यापम/5–प–1/28/ /2014 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु ।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स, मध्यप्रदेश, 7वीं वाहिनी के बगल में, जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

ह0

संचालक
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल